HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12793/2024

Shri Aashish Jain S/o Late Shri Raj Kumar Jain, Aged About 44 Years, R/o House No. 13, Shivalik, Block-E-17, Sector-61, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh 201201 (At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

Union Of India, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री वी.आर.बाजवा, वरिष्ठ अधिवक्ता मय
मि. सविता नाथावत
श्री नीरज कुमार यादव
मि. अर्चना

For Respondent(s) : श्री ओंकार सिंह राजपुरोहित, लोक अभियोजक
श्री किन्शुक जैन मय
श्री आर.एन,यादव
श्री जय उपाध्याय
श्री सौरभ जैन
श्री हिमान्शु अग्रवाल

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

Reserved on :: 05/12/2024

Pronounced on :: 20/12/2024

सही-प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत यह जमानत आवेदन पत्र प्रकरण संख्या CUS/ICFS/MISC/613/2021-Prev-O/o COMMR-CUS-PREV-JODHPUR अपराध अंतर्गत धारा 132 व 135 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

इस मामले में सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर की ओर से अभियुक्त आशीष जैन के विरूद्ध अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर–द्वितीय के समक्ष धारा 132 एवं 135 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि अभियुक्त आशीष जैन द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर 75,09,51,102/–रूपये की धनराशि भारत से विदेशों में भेजी गई जिसका उपयोग सोने और हीरे के अवैध आयात में साठगांठ द्वारा किया गया है तथा हांगकांग स्थित फर्मों को भारी राशि के गैरकानूनी प्रेषण में लिप्त। फर्जी फर्मों को परोक्ष/अपरोक्ष रूप से सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर राजस्व को हानि पहुंचाई। अभियुक्त आशीष जैन डी.पी.डिजाईन लिमिटेड हांगकांग को भारत में रहते हुए मैनेज कर रहा था । अभियुक्त आशीष जैन का सहयोगी पियूष नौलखा, जो कि डी.पी.डिजाईन लिमिटेड का सह डायरेक्टर है, ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि उसने डी.पी. डिजाईन लिमिटेड हांगकांग बनाई तथा आशीष को कमीशन के लिए दी एवं इस बात की पुष्टि की कि उसने आशीष के कहने पर इन बैंक खातों में आये पैसे विभिन्न फर्मों में रोटेड किये तथा मैसर्स बेलस्टार टेक्नो सॉल्यूशस(ओपीसी) प्रा.लि. और मैसर्स विजुअल बड्र्स टेक्नोलॉजी से आया पैसा सोने एवं हीरे के अवैध रूप से आयात में काम लिया गया है । पियूष नोलखा द्वारा विभिन्न अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मैसर्स बेलस्टार टेक्नो सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्रा.लि. जयपुर व मैसर्स विजुअल बर्ड्स, जयपुर के माध्यम से तस्करी के माल(सोने, डायमण्ड व अन्य बहुमुल्य धातु) की सप्लाई की । अभियुक्त अशीष इस दौरान पियूष नोलखा से लगातार संपर्क में था साथ ही उसी के साथ विदेशी फर्म का डायरेक्टर भी था । पियूष नोलखा ने आगे कहा कि उसके मोबाईल से बरामद डी.पी.डिजाईन के बारे में भी सभी संचार केवल भारत से किए गए हैं, जिसके बदले अशीष से भारतीय मुद्रा में नकद कमीशन मिला है। आशीष जैन के आवास की जांच करने पर पता चला कि आशीष Caratz LLC नामक कंपनी संचालित कर रहे हैं, जिसका डी.पी.डिजाईन के साथ प्रेषण लेन देन है। प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा संचालित फर्म मैसर्स Caratz नॉएडा पर छापे के दौरान विदेशी मार्का के सोने की दो बारें 999/995, विदेशी मार्का सोने के सिक्के 995, विदेशी सोने के टुकडे, विदेशी सोने की चैन की 2235.296 ग्राम

प्रतिलिपि
अधिकारी न्यायिक
उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

वजनी रूपए 1,62,68,240 की कीमत के साथ व रूपये 2,90,80,356/–रूपए मूल्य वाली 5332.813 ग्राम वजनी अनलेखित सोने और हीरे की ज्वेलरी और 1,46,24,240/– की अनलेखित भारतीय मुद्रा की बरामदगी हुयी है। अभियुक्त आशीष जैन ने दिनांक 10.09.2024 से 12.09.2024 के बीच कस्टम एक्ट की धारा 108 के तहत अपने दिए गए बयानों के दौरान हांगकांग में स्थित आधिकारिक ईरजिस्ट्री वेबसाईट के अनुसार वह डी.पी.डिजाईन लि. का निदेशक रहा था और कहा कि उसने बाद में डी.पी.डिजाईन लिमिटेड को छोड दिया था एवं उसने यह भी स्वीकार किया कि वह डी.पी.डिजाईन लिमिटेड का निदेशक था तब बेलस्टार टेक्नो सॉल्यूशंस प्रा.लि. और अन्य कम्पनियों से सम्बन्धित मामले में धन भेजा जा रहा था । बयान, रिकार्ड और साक्ष्यों के आधार पर पाया गया है कि **Caratz LLC** एवं डी.पी.डिजाईन लि. हांगकांग फर्म का संचालन आशीष जैन के द्वारा भारत में रहकर किया जा रहा है और वह अन्य आरोपियों को विदेशी धन का हस्तान्तरण कर अवैध सोने और हीरे के आयात के नेटवर्क में सकिय रूप से शामिल है । इस प्रकार अभियुक्त आशीष जैन का कार्य कस्टम एक्ट 1962 की धारा 132 और 135 के तहत अपराध है ।

बहस सुनी गई।

प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है । प्रार्थी को मात्र अन्य अभियुक्त पीयूष नौलखा के इस बयान के आधार पर कि "उसके द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त आशीष जैन को फर्म डी.पी.डिजाइन लिमिटेड चलाने के लिए कमीशन पर सुपुर्द की गई थी," अभियुक्त बनाया गया है परन्तु पीयूष नौलखा द्वारा आशीष जैन को कभी भी कमीशन दिया गया हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अनुसंधान के दौरान नहीं आयी है । प्रार्थी/अभियुक्त का डी.पी.डिजाइन लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं रहा है । प्रार्थी/अभियुक्त से गोल्ड तथा डायमण्ड व गोल्ड की ज्वैलरी बरामद होना बताया गया है उसमें से 1000ग्राम गोल्ड बार वही सोना है जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–21.05.2019 के आदेश से प्रार्थी को रिलीज किया गया है । उस गोल्ड बार पर वही नंबर अंकित है जो दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उसने रिलीज करवाया है । अन्य

न्यायालय पीठ जयपुर
प्रतिलिपि
निक अधिकारी न्यायिक
न उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

कई अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जा चुके हैं । उनका निवेदन है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी विधिपूर्ण नहीं है । गिरफ्तारी के विधिपूर्वक कारण नहीं बताये गए हैं । अभियुक्त से अन्य कोई पूछताछ नही होनी है । अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का असहयोग नही किया गया है। उनका तर्क रहा कि धारा 132 सीमा शुल्क अधिनियम का अपराध जमानतीय है और धारा 135 सीमा शुल्क अधिनियम में दोषसिद्ध होने पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और यह मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 12.09.2024 से अभिरक्षा में हैं। विचारण में समय लगने की संभावना है अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

उन्होने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं:–

1. Mr. Syed Sajjad Ali Vs. The Senior Intelligence Officer - Criminal Petition No. 5435/2024 decided on 05.07.2024
2. Prabir Purkayastha Vs. State (NCT of Delhi) MANU/SC/0435/2024
3. Shahrukh @ Banti Vs. The State of Madhya Pradesh - Criminal Appeal No. 1289/2023 decided on 27.07.2023

प्रत्यर्थी–परिवादी कस्टम विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान standing counsel श्री किंशुक जैन ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अनुसंधान के दौरान यह तथ्य आया है कि डी.पी.डिजाईन लिमिटेड कंपनी प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ही चलायी जा रही थी । प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा संचालित फर्म मैसर्स Caratz नॉएडा पर छापे के दौरान विदेशी मार्का के सोने की दो बारें 999/995, विदेशी मार्का सोने के सिक्के 995, विदेशी सोने के टुकडे, विदेशी सोने की चैन की 2235.296 ग्राम वजनी रूपए 1,62,68,240 की कीमत के साथ व रूपये 2,90,80,356/–रूपए मूल्य वाली 5332.813 ग्राम वजनी अनलेखित सोने और हीरे की ज्वेलरी और 1,46,24,240/– की अनलेखित भारतीय मुद्रा की बरामदगी हुयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्त से मिलकर उक्त अपराध कारित किया

साक्षी-प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

गया है। वह डी.पी.डिजाईन लिमिटेड कपनी मे कु'छ समय सह निदेशक भी रहा है तथा अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर फर्जी तरीके से व्यवहार किया गया है। अत. जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

उनकी ओर से अपने तर्को के समर्थन मे निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये गये।

01- Dheeraj Singhal Vs. Union of India S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 3486/2024 decided on 08.08.2024
02- Dheeraj Singhal Vs. Union of India - Special Leave to Appeal (Crl.) No. 12301/2024 decided on 10.09.2024
03- (2013) 7 SCC 439
Y.S. Jagan Mohan Reddy Vs. CBI
04- (1987) 2 SCC 364
State of Gujarat Vs. Mohanlal Jitamalji Porwal
05- (2013) 7 SCC 466
Nimmagadda Prasad Vs. CBI
06- (1995) Supp (4) SCC 663
Naresh J. Sukhawani Vs. UOI
07- (1997) 1 SCC 508
Surjeet Singh Chhabra Vs. UOI & Ors.
08- (1997) 3 SCC 721
K.I. Pavunny Vs. Assistant Collector
09- AIR 2004 SC 1866
Kalyan Chandra Sarkar Vs. Rajesh Ranjan Yadav
10- (2019) 9 SCC 165
Serious Fraud Investigation Office Vs. Nittin Johari
11- MANU/SC/1243/2023
Tarun Kumar Vs. Assistant Director Directorate of Enforcement.
12- Syed Mohammad Zama Vs. The State of Rajasthan - Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 1288/2015 decided on 20.02.2015.
13- Syed Mohammad Zama Vs. State of Rajasthan - S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 11193/2014 decided on 05.01.2015
14- Piyush Soni Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 3966/2024 decided on 24.05.2024
15- Chandmal Swami Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. Application No. 3967/2024 decided on 24.05.2024
16- Pradeep Kumar Nehra Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 1267/2024 decided on 09.02.2024
17- Pradeep Kumar Nehra Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. IInd Bail Application No. 3847/2024 decided on 03.04.2024.
18- Ehsaan Ali Sherni Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 3898/2024 decided on 20.04.2024
19- Arpit Jain Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. Bail

सही-प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

Application No. 16957/2017 decided on 18.12.2017

20- Anil Kumar Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 15833/2023 decided on 19.02.2024

21- Anil Kumar Vs. Union of India - SLP (Crl.) No. 4014/2024 decided on 22.03.2024.

22- Anil Kumar Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. IInd Bail Application No. 6318/2024 decided on 31.07.2024.

23- Ashutosh Garg Vs. Union of India - S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 548/2024 decided on 06.03.2024.

विद्वान अधिवक्ता परिवादी–विभाग की ओर से उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों के अलावा अपने तर्कों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज पेश किये गये।

हमने उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों–वितर्कों पर मनन किया । आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य–सामग्री व दस्तावेजात तथा धारा 108 सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्त आशीष जैन व अन्य अभियुक्त पीयूष नौलखा के लेखबद्ध बयानों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

इस मामले में प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 12.09.2024 से अभिरक्षा में है । दस्तावेजात से यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी/अभियुक्त से जो बरामदगी दिखाई गई है उनमें से 1000 ग्राम गोल्ड बार संख्या–F224207 वही रही है जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **W.P.(C)10155/2018,CM APPLs.11856/2019 and 19632/2019 आशीष जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेश** दिनांक **21.05.2019**, के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रिलीज करवायी गई है । अन्य कुछ अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किए जा चुके हैं । अब तक की जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त पीयूष नौलखा द्वारा आशीष जैन को डी.पी. डिजाईन लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए सुपूर्द की गई हो । आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य है, जिसमें अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, विचारण में समय लेने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता ।

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति, अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य, अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकोर्ड नही होने तथा

सही-प्रतिलिपि
न्यायिक अधिकारी
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ
जयपुर

अन्वीक्षा में लगने वाले समय व अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई अंतिम राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 25,000–25,000/– रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **आशीष जैन पुत्र स्वर्गीय श्री राजकुमार** जैन को (यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो) अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

- Sd -
(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh/

सही-प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर
20/12/24